

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 49/2026 बउनवानी मायाराम गुर्जर बनाम उपजिला कलेक्टर बौली
निवासी रवासा तहसील बौली

GCMS No-2026/95

Appeal Number- 321142259463115

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

21.5.2026

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 8.2.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " भूमि अधिग्रहण को लेकर दिनांक 9.12.2025 एवं 29.1.2026 को की गयी शिकायत/आपत्ति पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना " उपजिला कलेक्टर बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:प.16(1)(1)भू.अ./2025/445 दिनांक 21.5.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 8.2.2026 में चाही गयी सूचना से संबंधित आपत्ति (प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 9.12.2025 एवं 29.1.2026) का निस्तारण किया जाकर अवार्ड पारित चुका है।

नियत दिनांक को अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः चाही गयी सूचनाएं उपलब्ध करवायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.2.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना (भूमि अधिग्रहण को लेकर दिनांक 9.12.2025 एवं 29.1.2026 को की गयी शिकायत/आपत्ति पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना) अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। यद्यपि उपजिला कलेक्टर द्वारा प्रार्थी की आपत्ति का निस्तारण किया जा चुका किन्तु उक्त आपत्ति के निस्तारण कार्यवाही की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 7 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर